महोबा पुलिस

दिनांक- 30.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 953/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 30.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ



महोबा पुलिस

दिनांक- 30.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 952/26

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर किया गया निरीक्षण, पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता एवं कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु कराई गई दौड़ एवं ड्रिल।



- आज दिनांक 30.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस बल की शारीरिक दक्षता, मानसिक दृढ़ता, अनुशासन एवं परिचालन क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से टोलीवार दौड़ एवं ड्रिल कराई गई।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं ड्रिल का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ड्रिल कराने तथा प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिसकर्मियों को अनुशासन, समयबद्धता एवं उच्च कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।



- साप्ताहिक परेड में जनपद के नवागत डॉग स्क्वाड ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा डॉग स्क्वाड के प्रभावी संचालन, समुचित रख-रखाव एवं नियमित प्रशिक्षण की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए गए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न पुलिस कार्यवाहियों में इसकी सेवाओं का प्रभावी उपयोग किया जा सके।
- इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण कर डायल-112 PRV वाहनों सहित अन्य पुलिस वाहनों की स्थिति, साफ-सफाई एवं रख-रखाव का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी वाहनों को सदैव दुरुस्त एवं क्रियाशील रखने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
- तत्पश्चात आदेश कक्ष में आयोजित ऑर्डली रूम में अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की पत्रावलियों का अवलोकन कर संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई तथा आवश्यकतानुसार निस्तारण एवं अग्रिम कार्यवाही के संबंध में आदेश-निर्देश दिए गए। महोबा पुलिस का उद्देश्य पुलिस बल को अनुशासित, दक्ष एवं संसाधनों से सुसज्जित रखते हुए आमजन को त्वरित, प्रभावी एवं बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना है।

महोबा पुलिस

दिनांक- 30.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 954/26

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महोबा पुलिस की सख्त कार्रवाई, 04 वाहन सीज एवं 38 वाहनों के ई-चालान

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था को सुचारु, सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए रखने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से महोबा पुलिस द्वारा निरंतर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
- इसी क्रम में आज दिनांक 30. 10.2026 को क्षेत्राधिकारी यातायात श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण एवं यातायात निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
- अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने एवं अनियमितता पाए जाने पर 01 डबल डेकर बस, 01 क्रूजर वाहन, 01 बिना नंबर प्लेट की रेसर बाइक तथा 01 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट सहित कुल 04 वाहनों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 38 वाहनों के ई-चालान किए गए।
- महोबा पुलिस द्वारा वाहन चालकों को निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने, वैध प्रपत्रों के साथ वाहन चलाने, निर्धारित गति सीमा का अनुपालन करने तथा वाहनों में अनधिकृत मॉडिफिकेशन से बचने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
- महोबा पुलिस की अपील है कि सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें, यातायात नियमों का पालन करें तथा स्वयं एवं दूसरों का जीवन सुरक्षित रखें।





दिनांक- 30.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 955/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी के 06 अभियोगों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से ₹2,000 बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 30.10.2026 को उ0नि0 पवन सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत कुल 06 अभियोगों में वांछित अभियुक्त राजेश नामदेव पुत्र कुलदीप, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी नयापुरा नैकाना, प्राइवेट बस स्टैंड के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को बजरिया चौकी के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ₹2,000 बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. राजेश नामदेव पुत्र कुलदीप, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी नयापुरा नैकाना, प्राइवेट बस स्टैंड के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।

संबंधित अभियोगों का विवरण:

1. मु0अ0सं0 460/2026, धारा 331(4)/305ए/317(2)/3(5) बीएनएस।
2. मु0अ0सं0 449/2026, धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस।
3. मु0अ0सं0 461/2026, धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस।
4. मु0अ0सं0 462/2026, धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस।
5. मु0अ0सं0 437/2026, धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस।
6. मु0अ0सं0 464/2026, धारा 109(1), 352, 3(5), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 317(5), 303(2) बीएनएस, 35 बीएनएसएस एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

बरामदगी का विवरण:

₹2,000 नकद।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 पवन सिंह
2. का0 सूर्यपाल सिंह
3. का0 सचिन यादव